

मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय

—:—

क्रमांक : 16 / 1094 / 2019 / ब-1 / चार भोपाल, दिनांक 08 / 01 / 2020
प्रति,

संबंधित बजट नियंत्रण अधिकारी,
मध्यप्रदेश शासन ।

विषय:—मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक-2 सन् 2020 मध्य प्रदेश विनियोग
(क्रमांक-7) अधिनियम, 2019 के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की सूचना ।

—:—

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक-2 सन् 2020 मध्य प्रदेश विनियोग
(क्रमांक-7) अधिनियम, 2019 दिनांक 06 / 01 / 2020 (प्रथम अनुपूरक अनुमान
वर्ष 2019-20) को राजपत्र में प्रकाशित किया गया है ।

2 / अधिनियम में सम्मिलित प्रावधानों के उपयोग के पूर्व वास्तविक मासिक
आवश्यकता की समीक्षा तथा वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता का आंकलन
आवश्यक है। इस हेतु कृपया संलग्न प्रपत्र के साथ प्रस्ताव प्रशासकीय विभाग
के माध्यम से भेजे जायें।

संलग्न: (उपरोक्तानुसार)

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ० क्र० : 17 / 1094 / 2019 / चार / ब-1 भोपाल, दिनांक 08 / 01 / 2020
प्रतिलिपि:—

1. संबंधित अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मध्य प्रदेश शासन
मंत्रालय, भोपाल को अग्रेषित ।
2. समस्त उप सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग

मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम 2019 में सम्मिलित प्रावधानों के संबंध में आवंटन प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

बजट शीर्ष	मुख्य बजट में प्रावधान	प्रथम अनुपूरक अनुमान में प्रावधान	पुनर्विनियोजन से वृद्धि(+)/कमी(-)	कुल उपलब्ध प्रावधान (2+3+4)	अद्यतन व्यय (दिसम्बर, 2019 तक)	शेष उपलब्ध प्रावधान (5-6)	प्रथम अनुपूरक अनुमान (अधिनियम कं-2 सन 2020) में प्रावधान	इस वित्तीय वर्ष में कुल आवश्यकता			आवश्यकता का कारण
								जनवरी 2020	फरवरी 2020	मार्च 2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

टीप :- कंमाक 9,10,11 का योग कंमाक 7 एवं 8 के योग से अधिक नहीं होना चाहिए।

- I कड़िका I में उल्लेखित आवश्यकता की पूर्ति पुनर्विनियोजन/समर्पण से किये जाने के संबंध में टीप दें।
- II यदि कड़िका I में उल्लेखित बजट शीर्ष केन्द्र समर्थित/अन्य एजेन्सी द्वारा समर्थित हैं, तो ऐसी सहायता राशि/केन्द्रांश प्राप्त होने की स्थिति की जानकायी दें।

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 6 जनवरी 2020—पौष 16, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 282-5-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 4 जनवरी, 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०२०

मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) अधिनियम, २०१९

[दिनांक ४ जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक ६ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-७) अधिनियम, २०१९ है.

संक्षिप्त नाम.

२. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम (३) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां, जिनका कुल योग रुपये तेईस हजार तीन सौ उन्नीस करोड़ इक्यावन लाख चौरानवे हजार बयासी मात्र होता है, उन विभिन्न प्रभागों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम (२) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बाबत वित्तीय वर्ष २०१९-२०२० के दौरान दिये जाने होंगे, दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

वित्तीय वर्ष २०१९-२० के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये २,३३,१९,५१,९४,०८२ का दिया जाना.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी.

विनियोग.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये)

(१) अनुदान का संख्यांक	(२) सेवायें और प्रयोजन	(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां		
		विधान सभा द्वारा मतदत्त रुपये	संचित निधि पर भारित रुपये	योग रुपये
०१. सामान्य प्रशासन	राजस्व	८०,००,००,०००	१,२२,९३,७५०	८१,२२,९३,७५०
	पूंजी	७,२७,२५,४००	०	७,२७,२५,४००
०२. सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	राजस्व	२९,००,०००	०	२९,००,०००
	पुलिस	राजस्व	९५,००,००,०००	०
०३. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	पूंजी	१३,००,००,०००	०	१३,००,००,०००
	राजस्व	२२,१४,००,०००	०	२२,१४,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
०६.	वित्त			
	राजस्व	७०,२१,५००	०	७०,२१,५००
०७.	वाणिज्यिक कर			
	राजस्व	२४,००,००,०००	०	२४,००,००,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन			
	राजस्व	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
१०.	वन			
	राजस्व	१,०४,६९,३१,२००	०	१,०४,६९,३१,२००
	पूंजी	६२,५१,९६,०००	०	६२,५१,९६,०००
११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन			
	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
	पूंजी	३६,८९,००,०००	०	३६,८९,००,०००
१२.	ऊर्जा			
	राजस्व	२१,३०,००,००,०००	०	२१,३०,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास			
	राजस्व	४१,०५,७२,१००	०	४१,०५,७२,१००
१४.	पशुपालन			
	राजस्व	१०,१७,९९,०००	७,८६,०००	१०,२५,८५,०००
१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास			
	राजस्व	०	५,२१,५००	५,२१,५००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
	राजस्व	१,००,८७,७०,०००	७,००,००,०००	१,०७,८७,७०,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी			
	राजस्व	२५,००,००,०००	४,५०,००,०००	२९,५०,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं आवास			
	राजस्व	३०,५४,००,०००	०	३०,५४,००,०००
	पूंजी	२,३३,००,००,०००	०	२,३३,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
०६.	वित्त	राजस्व	७०,२१,५००	०	७०,२१,५००
०७.	वाणिज्यिक कर	राजस्व	२४,००,००,०००	०	२४,००,००,०००
०८.	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	राजस्व	४,००,००,०००	०	४,००,००,०००
१०.	वन	राजस्व	१,०४,६९,३१,२००	०	१,०४,६९,३१,२००
		पूंजी	६२,५१,९६,०००	०	६२,५१,९६,०००
११.	औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन	राजस्व	१०,००,०००	०	१०,००,०००
		पूंजी	३६,८९,००,०००	०	* ३६,८९,००,०००
१२.	ऊर्जा	राजस्व	२१,३०,००,००,०००	०	२१,३०,००,००,०००
१३.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	राजस्व	४१,०५,७२,१००	०	४१,०५,७२,१००
१४.	पशुपालन	राजस्व	१०,१७,९९,०००	७,८६,०००	१०,२५,८५,०००
१६.	मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास	राजस्व	०	५,२१,५००	५,२१,५००
०१९.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	राजस्व	१,००,८७,७०,०००	७,००,००,०००	१,०७,८७,७०,०००
२०.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	राजस्व	२५,००,००,०००	४,५०,००,०००	२९,५०,००,०००
२२.	नगरीय विकास एवं आवास	राजस्व	३०,५४,००,०००	०	३०,५४,००,०००
		पूंजी	२,३३,००,००,०००	०	२,३३,००,००,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
२३.	जल संसाधन	राजस्व	२००	०	२००
		पूंजी	१५,००,००,००,७००	०	१५,००,००,००,७००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	राजस्व	१,५०,००,००,०००	०	१,५०,००,००,०००
		पूंजी	४,५०,००,००,६००	०	४,५०,००,००,६००
२६.	संस्कृति	राजस्व	२,००,००,०००	०	२,००,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व	१४,३४,८२,००,०००	०	१४,३४,८२,००,०००
		पूंजी	१,७७,००,००,०००	०	१,७७,००,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व	१००	०	१००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व	१५,२७,९३,५१,०००	०	१५,२७,९३,५१,०००
३४.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	राजस्व	७४,७२,०२,२००	०	७४,७२,०२,२००
३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी	५०,०००	०	५०,०००
३७.	पर्यटन	राजस्व	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३८.	आयुष	राजस्व	७६,३८,००,०००	०	७६,३८,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
२३.	जल संसाधन	राजस्व २००	०	२००
		पूंजी १५,००,००,००,७००	०	१५,००,००,००,७००
२४.	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल.	राजस्व १,५०,००,००,०००	०	१,५०,००,००,०००
		पूंजी ४,५०,००,००,६००	०	४,५०,००,००,६००
२६.	संस्कृति	राजस्व २,००,००,०००	०	२,००,००,०००
२७.	स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा)	राजस्व १४,३४,८२,००,०००	०	१४,३४,८२,००,०००
		पूंजी १,७७,००,००,०००	०	१,७७,००,००,०००
२९.	विधि और विधायी कार्य	राजस्व १०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३१.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	राजस्व १००	०	१००
३३.	आदिम जाति कल्याण	राजस्व १५,२७,९३,५१,०००	०	१५,२७,९३,५१,०००
३४.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण	राजस्व ७४,७२,०२,२००	०	७४,७२,०२,२००
३५.	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम	पूंजी ५०,०००	०	५०,०००
३७.	पर्यटन	राजस्व १०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
३८.	आयुष	राजस्व ७६,३८,००,०००	०	७६,३८,००,०००

(१)	(२)	(३)		
		रुपये	रुपये	रुपये
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व १०,००,००,१००	०	१०,००,००,१००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).	राजस्व ३,७०,२२,००,१००	३०,००,०००	३,७०,५२,००,१००
४३.	खेल और युवक कल्याण	पूंजी १,००,००,०००	०	१,००,००,०००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व २,२६,९३,००,०००	०	२,२६,९३,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व ४,२६,००,०००	०	४,२६,००,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी ०	२,९२,००,०००	२,९२,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व ५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व ३५,८९,०२,०००	०	३५,८९,०२,०००
५१.	अध्यात्म	राजस्व ११,००,००,१००	०	११,००,००,१००
५२.	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी १,७५,४४,००,०००	०	१,७५,४४,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व ९५,०१,१०,४३२	०	९५,०१,१०,४३२
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व १,३३,८५,००,००,०००	०	१,३३,८५,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी १०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व ३,८३,५६,६०,०००	०	३,८३,५६,६०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
३९.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	१०,००,००,१००	०	१०,००,००,१००
४०.	स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर).	राजस्व	३,७०,२२,००,१००	३०,००,०००	३,७०,५२,००,१००
४३.	खेल और युवक कल्याण	पूंजी	१,००,००,०००	०	१,००,००,०००
४४.	उच्च शिक्षा	राजस्व	२,२६,९३,००,०००	०	२,२६,९३,००,०००
४७.	तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.	राजस्व	४,२६,००,०००	०	४,२६,००,०००
४८.	नर्मदा घाटी विकास	पूंजी	०	२,९२,००,०००	२,९२,००,०००
४९.	अनुसूचित जाति कल्याण	राजस्व	५,००,००,०००	०	५,००,००,०००
५०.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	राजस्व	३५,८९,०२,०००	०	३५,८९,०२,०००
५१.	अध्यात्म	राजस्व	११,००,००,१००	०	११,००,००,१००
५२.	चिकित्सा शिक्षा	पूंजी	१,७५,४४,००,०००	०	१,७५,४४,००,०००
५५.	महिला एवं बाल विकास	राजस्व	९५,०१,१०,४३२	०	९५,०१,१०,४३२
५८.	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	राजस्व	१,३३,८५,००,००,०००	०	१,३३,८५,००,००,०००
६०.	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय	पूंजी	१०,००,००,०००	०	१०,००,००,०००
६४.	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	राजस्व	३,८३,५६,६०,०००	०	३,८३,५६,६०,०००

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	१,०६,००,००,०००	०	१,०६,००,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य-भवन	पूंजी	५०,००,००,१००	०	५०,००,००,१००
योग :		राजस्व :	२,०५,८७,३१,२०,०३२	१३,१६,०१,२५०	२,०६,००,४७,२१,२८२
		पूंजी :	२७,१६,१२,७२,८००	२,९२,००,०००	२७,१९,०४,७२,८००
		वृहद-योग :	२,३३,०३,४३,९२,८३२	१६,०८,०१,२५०	२,३३,१९,५१,९४,०८२

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 282-5-इक्कीस-अ(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 7) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2020

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 7) BILL, 2019

[Received the assent of the Governor on the 4th January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th January, 2020.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2019-20.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 7) Act, 2019.

Issue of Rs. 2,33,19,51,94,082 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2019-20.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Twenty three thousand three hundred nineteen crore fifty one lakh ninety four thousand eighty two only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2019-20 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

(१)	(२)	(३)			
		रुपये	रुपये	रुपये	
६६.	पिछड़ा वर्ग कल्याण	राजस्व	१,०६,००,००,०००	०	१,०६,००,००,०००
६७.	लोक निर्माण कार्य- भवन	पूंजी	५०,००,००,१००	०	५०,००,००,१००
योग :		राजस्व :	२,०५,८७,३१,२०,०३२	१३,१६,०१,२५०	२,०६,००,४७,२१,२८२
		पूंजी :	२७,१६,१२,७२,८००	२,९२,००,०००	२७,१९,०४,७२,८००
		वृहद-योग :	२,३३,०३,४३,९२,८३२	१६,०८,०१,२५०	२,३३,१९,५१,९४,०८२

भोपाल, दिनांक 6 जनवरी 2020

क्र. 282-5-इक्कीस-अ(प्रा.)-भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक 7) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 2 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2020

THE MADHYA PRADESH APPROPRIATION (No. 7) BILL, 2019

[Received the assent of the Governor on the 4th January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 6th January, 2020.]

An Act to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh for the services of the Financial Year 2019-20.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventieth year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Appropriation (No. 7) Act, 2019.

Issue of Rs. 2,33,19,51,94,082 from and out of the Consolidated Fund of the State for the Financial Year 2019-20.

2. From and out of the Consolidated Fund of the State of Madhya Pradesh there may be paid and applied sums not exceeding those specified in column (3) of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of Rs. Twenty three thousand three hundred nineteen crore fifty one lakh ninety four thousand eighty two only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the Financial Year 2019-20 in respect of services and purposes specified in column (2) of the Schedule.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund Appropriation of the State of Madhya Pradesh by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See Sections 2 and 3)

(1) No. of Vote	(2) Services and purposes	(3) Sums not exceeding		
		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
		Rs.	Rs.	Rs.
01.	General Administration			
	Revenue	80,00,00,000	1,22,93,750	81,22,93,750
	Capital	7,27,25,400	0	7,27,25,400
02.	Other expenditure pertaining to General Administration Department			
	Revenue	29,00,000	0	29,00,000
03.	Police			
	Revenue	95,00,00,000	0	95,00,00,000
	Capital	13,00,00,000	0	13,00,00,000
04.	Other expenditure pertaining to Home Department			
	Revenue	22,14,00,000	0	22,14,00,000
06.	Finance			
	Revenue	70,21,500	0	70,21,500
07.	Commercial Tax			
	Revenue	24,00,00,000	0	24,00,00,000
08.	Land Revenue and District Administration			
	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000
10.	Forest			
	Revenue	1,04,69,31,200	0	1,04,69,31,200
	Capital	62,51,96,000	0	62,51,96,000
11.	Industry Policy and Investment Promotion			
	Revenue	10,00,000	0	10,00,000
	Capital	36,89,00,000	0	36,89,00,000
12.	Energy			
	Revenue	21,30,00,00,000	0	21,30,00,00,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
13.	Farmer Welfare and Agriculture Development	Revenue	41,05,72,100	0	41,05,72,100
14.	Animal Husbandry	Revenue	10,17,99,000	7,86,000	10,25,85,000
16.	Fisherman Welfare and Fisheries Development	Revenue	0	5,21,500	5,21,500
19.	Public Health and Family Welfare	Revenue	1,00,87,70,000	7,00,00,000	1,07,87,70,000
20.	Public Health Engineering	Revenue	25,00,00,000	4,50,00,000	29,50,00,000
22.	Urban Development and Housing	Revenue	30,54,00,000	0	30,54,00,000
		Capital	2,33,00,00,000	0	2,33,00,00,000
23.	Water Resources Department	Revenue	200	0	200
		Capital	15,00,00,00,700	0	15,00,00,00,700
24.	Public Works—Roads and Bridges	Revenue	1,50,00,00,000	0	1,50,00,00,000
		Capital	4,50,00,00,600	0	4,50,00,00,600
26.	Culture	Revenue	2,00,00,000	0	2,00,00,000
27.	School Education (Primary Education)	Revenue	14,34,82,00,000	0	14,34,82,00,000
		Capital	1,77,00,00,000	0	1,77,00,00,000
29.	Law and Legislative Affairs	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
31.	Planning, Economics and Statistics	Revenue	100	0	100
33.	Tribal Affairs	Revenue	15,27,93,51,000	0	15,27,93,51,000

(1)	(2)	(3)			
		Rs.	Rs.	Rs.	
34.	Social Justice and disabled Person welfare	Revenue	74,72,02,200	0	74,72,02,200
35.	Micro, Small & Medium Enterprises	Capital	50,000	0	50,000
37.	Tourism	Revenue	10,00,00,000	0	10,00,00,000
38.	Ayush	Revenue	76,38,00,000	0	76,38,00,000
39.	Food, Civil Supplies and Consumer Protection	Revenue	10,00,00,100	0	10,00,00,100
40.	Other expenditure pertaining to School Education Department (excluding Primary Education)	Revenue	3,70,22,00,100	30,00,000	3,70,52,00,100
43.	Sports and Youth Welfare	Capital	1,00,00,000	0	1,00,00,000
44.	Higher Education	Revenue	2,26,93,00,000	0	2,26,93,00,000
47.	Technical Education, Skill Development and Employment	Revenue	4,26,00,000	0	4,26,00,000
48.	Narmada Valley Development	Capital	0	2,92,00,000	2,92,00,000
49.	Scheduled Caste Welfare	Revenue	5,00,00,000	0	5,00,00,000
50.	Horticulture and Food Processing	Revenue	35,89,02,000	0	35,89,02,000
51.	Religious Trust and Endowments	Revenue	11,00,00,100	0	11,00,00,100
52.	Medical Education	Capital	1,75,44,00,000	0	1,75,44,00,000

(1)	(2)	(3)		
		Rs.	Rs.	Rs.
55.	Women and Child Development Revenue	95,01,10,432	0	95,01,10,432
58.	Expenditure on Relief on account of Natural Calamities and Scarcity Revenue	1,33,85,00,00,000	0	1,33,85,00,00,000
60.	Expenditure pertaining to District Plan Schemes Capital	10,00,00,000	0	10,00,00,000
64.	Financial assistance to Urban bodies Revenue	3,83,56,60,000	0	3,83,56,60,000
66.	Welfare of Backward Classes Revenue	1,06,00,00,000	0	1,06,00,00,000
67.	Public Works-Buildings Capital	50,00,00,100	0	50,00,00,100
Total :				
	Revenue —	2,05,87,31,20,032	13,16,01,250	2,06,00,47,21,282
	Capital —	27,16,12,72,800	2,92,00,000	27,19,04,72,800
	Grand Total —	2,33,03,43,92,832	16,08,01,250	2,33,19,51,94,082